

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा

शारदा बनाम रामा वगैरा

किस्म मुकदमा-राजस्व वाद

मुकदमा नम्बर-51/2025

तारीख हुक्म	हुक्मकारवाई मय इनिशियलजज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.04.2025	<p>वादीनी के अधिवक्ता श्री आम्बाराम पूनड़ ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व धारा 6, 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिए सम्मन/नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 12.06.2025 को पेश हो।</p> <p>1305125 प्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादीनी स्वयं उपस्थित। वादीनी वकील ने उधेना पर वास्ते प्रावली पेशी पर लेने बाबत पेश कर निवेदन किया कि अतः अनवान सहर का उक्तरण अदालत हाजा में विषयधीन है, जिसकी पेशी तारीख 12.06.2025 को मुकर्र है। अतः अनवान उक्तरण में वादी व प्रतिवादीगण के बीच रजिनामा हो गया है, इसलिए प्रावली आज पेशी पर लिया जाना ब्ययहित में आवश्यक है। वादीनी वकील के निवेदन पर प्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई। वादीनी वकील ने उधेना पर वास्ते वाद विद्दे करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि अतः अनवान के उक्तरण में वादी व प्रतिवादीगण के बीच गांव के मौजिज व्यक्तियों ने रजिनामा करवा दिया है। यह रजिनामा लोक अदालत की भवना से उेरित होकर किया है। अतः हमारे बीच किसी प्रकार का तनजा नहीं है, अतः वाद हम अपने नही प्यना चाहते हैं। अतः निवेदन है कि अतः अनवान के उक्तरण को विद्दे करने का आदेश फरमवें। वादी वकील का उधेना पर ब्ययहित में स्वीकार किया जाकर अतः वाद जरिए रजिनामा विद्दे किया जाता है। प्रावली केसल शुमार होकर हाजिल हाफर हो। संख्या से एक कम हो।</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> <p>ति. 21/05/25</p> 